राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस

राजस्व अपील प्रा.प.सं. — 254/2024

अनवान

श्रीमति लीला देवी पुत्री खंगारसिंह जाति रावत आयु 36 वर्ष निवासी दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

....अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत दिवेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
02. ग्राम पंचायत दिवेर जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

....रेस्पोन्डेण्टगण

उपस्थितिः—

01. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नैना सिंह चौहान
02. रेस्पोन्डेण्टगण की ओर से कोई नही

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.1999 ग्राम पंचायत दिवेर

आदेश दिनांकः— 2/2/26

01. पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खाता नम्बर 590 एवं आराजी खसरा नम्बर क्रमशः 102, 104, 105, 122, 138, 140, 1771ए 3579/6257, 95, 96/6252, 97 कुल खसरे 11 कुल रकबा 0.7567 है0 भूमि एवं खाता नम्बर 589 एवं खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0324 है0 किस्म गै0मु0चाह भूमि आई हुई है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट को खंगारसिंह से प्राप्त हुई है खंगारसिंह के परिवारजन का सजरा निम्न प्रकार से है।

खंगार सिंह फौत

…ालम सिंह | भंवरसिंह | गोमी देवी | लीलादेवी

…ा के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्ट मृतक खंगारसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस …केन खंगारसिंह की मृत्यु के बाद खुलने वाले नामान्तकरण में अपीलाण्ट के नाम बिना जांच …बिना विरासत की जांच की गये मनमखुसक तरीके से मात्र जालमसिंह एवं भंवरसिंह के नाम पर

खोल दिया और अपीलाण्ट का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया इस वजह से खंगारसिंह की भूमियां जालमसिंह एवं भंवरसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्ध है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई के अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध नामान्तकरण खोला गया है जो अपीलाण्ट के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी नही थी जबकि मौके पर अपीलाण्ट मौके पर अपनी कृषि भूमियों पर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलाण्ट को करीब छः माह पहले हुई थी क्योकि उक्त भूमि से बेदखल करने लगे। उक्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से निहित है एवं रेस्पोडेण्ट भंवरसिंह का 1/4 हिस्सा एवं जालमसिंह का 1/4 हिस्सा विधि अनुरूप प्राप्त होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित अपील विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1442 तारीख फैसल 25/11/1999 द्वारा पारित ग्राम पंचायत दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद को अपास्त कर खारिज किया जावे एवं अपील के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्ट संख्या 01 का 1/4 हिस्सा एवं अपीलाण्ट संख्या 02 का 1/4 वां हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित पाए गए जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपील वास्ते बहस मुकर्रर की गई। अपील प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तकरण संख्या 1442 दिनांक 25.11.1999 ग्राम पंचायत दिवेर_ की प्रति भी संलग्न की। हमने अपील में वर्णित जमाबंदी, नामान्तरणकरण की प्रतिलिपि, शपथ पत्र, धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील में केवल ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है जबकि नामान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरण नाम गोमी देवी पत्नि खंगार सिंह तथा जालमसिंह, भंवरसिंह पिता खंगार सिंह के पक्ष में दिनांक 25.11.1999 को तसदीक व स्वीकृत हुआ है लेकिन जिनके मध्य नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित हुई उन्हें अपीलांट द्वारा पक्षकार ही नही बनाया गया है। आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपील संधारण योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट आवश्यक/प्रभावित पक्षकारों के अभाव में संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 2/2/26 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीम, जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner